संख्या 25 / 2025/1010/सत्रह-म-2025-17-1099/1174/2019

प्रेषक,

हरीश कुमार
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 22 जुलाई , 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिये सामूहिक दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से रू० 47.97 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 261/नि0शा0/2025-26 दिनांक 30 मई , 2025 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिये सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना हेतु अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के036/रा0 24- महिला लाभार्थी-40, के0 36+रा0-24) 20- सहायता अनुदान –सामान्य गैर वेतन में प्राविधानित धनराशि रू0 11576.00 लाख में से धनराशि रू0 47.976 लाख (रू0 सैंतालिस लाख सत्तान्नबे हजार छः सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से नवीन लेखाशीर्ष अनुदान संख्या- 17-लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0105-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिए सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के060/रा0 40-रा0) 42-अन्य व्यय में निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिये सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना हेतु अनुदान संख्या-17- लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं 0105-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिए सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना (के060/रा0 40-रा0) 42- अन्य व्यय में धनराशि रू0 47.97 लाख (रू0 सैंतालिस लाख सत्तान्नबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य महानिदेशक मत्स्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) भविष्य में इस प्रकार के मदों के व्यय पर मितव्ययिता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिदेशक मत्स्य का होगा।

(5) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु 0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च 2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का प्रशासकीय विभाग द्वारा पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3 - यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न **आर.ई.संख्या–बजट-1-20 दिनाँक 07.07.2025** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1

भवदीय

Digitally signed by Harish Kumar (हरीश कुमार)
Date: 22-07-2025 11:25:35

अनु सचिव।

संख्या 25 /2025/1010/ सत्रह-म-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
(4) सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
(5) उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।
(6) वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनु0-3
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A017-20252026-17-1099-1174-2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना हेतु पुनर्विर्नियोग के माध्यम से रू0 47.976 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
017	2405001010104 (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)-(के036/रा024-महिला लाभार्थी- 40 के0-36+रा0-24)))	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,15,76,00,000 रुपये एक अरब पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख मात्र	1,05,50,36,590 रुपये एक अरब पाँच करोड़ पचास लाख छत्तीस हजार पाँच सो नब्बे मात्र	47,97,600 रुपये सैंतालीस लाख सत्तानबे हजार छह सो मात्र	4797000 -	115280 2500 -	2025-2026
कुल					₹ 47,97,600	₹ 0		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
017	2405001010105 (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा मछुआ समुदाय के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना)	42 (अन्य व्यय)	0 शून्य	47,97,600 रुपये सैंतालीस लाख सत्तानबे हजार छह सो मात्र	4797000 -	4797000 -	2025-2026
कुल				₹ 47,97,600	₹ 0		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- बचत की जिस मद से पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनरशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

संख्या: -2025-26, दिनांक- जून,2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज

Digitally signed by
DR. RAMESH CHANDRA TIWARI
Date: 03-07-2025 16:51:38

(अमित कुमार घोष)

(डा0 रमेश चन्द्र तिवारी)

(प्रमुख सचिव)

संयुक्त सचिव।

संख्या : / , दिनांक- जून, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- सम्बंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
Digitally signed by
AMIT KUMAR GHOSH
Date: 18-06-2025
14:33:24

(अमित कुमार घोष)
(प्रमुख सचिव)